न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 146/08 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2008/00018)
कशमीरी पुत्री चन्दरू जाति मेव निवासी ग्राम जोत गुलाब तहसील पहाड़ी हाल निवासी ग्राम हथिया तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0

.....अपीलान्टस

बनाम

1. सौराव पुत्रगण गिरधर जातियान मेव निवासी ग्राम जोत गुलाब तहसील
2. रूस्तम पहाडी जिला भरतपुर
3. ग्राम पंचायत जोतरी पीपल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोतरी पीपल तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 (टी) एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत जोतरी पीपल पंचायत समिति कामां जिला भरतपुर दिनांक 03.10.2008 बाबत नामान्तकरण संख्या 191 ग्राम जोतगुलाब तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री पंकज कुमार वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 23.10.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 ग्राम पंचायत जोतरी पीपल के निर्णय दिनांक 03.10.2008 वसिलसिले नामान्तकरण संख्या 191 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी मुतनाजा में अपीलार्थी मृतक चन्द्रू के स्थान पर 1/2 भाग की खातेदार काश्तकार काबिज है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से मृतक चन्द्रू के हिस्सा आराजी पर मृतक गिरधर के नाम इन्द्राज खातेदारी कर दिए थे। मृतक चन्द्रू व गिरधर दोनों सगे भाई थे और आराजी मुतनाजा के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार काबिज रहे थे। चन्द्रू की मृत्यु के समय उसकी पत्नि चन्द्री व अपीलार्थियां जीवित वारिसान थे। चन्द्रू के बाद दाखिला खारिज संख्या 220 अपीलार्थीया की मां श्रीमती चन्द्री के नाम स्वीकृत हुआ। जिसे बाद में निरस्त कर दिया और मृतक गिरधर पुत्र महताब के नाम स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थीया की मां चन्द्री की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण विवादित आराजी में एकमात्र वारिस अपीलार्थीया ही है और अपने नाम नामान्तकरण स्वीकृत कराने की अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी कामां ने उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मौके पर कब्जेकाश्त की जांच कर पुनः नामान्तकरण निर्णित करने हेतु

23.X.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ग्राम पंचायत को प्रेषित किया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई जांच नहीं कर तथ्यों के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि विवादित आराजी के आधे भाग पर अपीलार्थीया का कब्जेकाश्त है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 139 (2) के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है, जिसका उन्हें कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जोतरी पीपल पंचायत समिति कामां की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 191 ग्राम जोतगुलाब तहसील पहाड़ी निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी के हक में मृतक चन्द्रु के स्थान पर विवादित आराजी के आधे भाग पर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई व रैस्पोडेन्ट की तलवी जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन नामान्तकरण संबंधी पत्रावली तलब होने व रैस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण में बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 191 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत जोतरी पीपल की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 05.08.2003 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी कामां ने अपील संख्या 09/2003 में निर्णय दिनांक 14.03.2008 के द्वारा अपीलान्ट की अपील आंशिक तौर पर स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 05.08.2003 को निरस्त किया तथा प्रकरण ग्राम पंचायत जोतरी पीपल को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद नामान्तकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित करें, परन्तु ग्राम पंचायत की ओर से उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं कर पुनः दिनांक 03.10.2008 को यह निर्णय पारित किया कि इंतकाल संख्या 191 दिनांक 05.08.2003 गिरधर पुत्र महताब की विरासत है। जिसके जायिज वारिसान मौजमी बेबा गिरधर, महमूदी, चाहती, कुर्सीदन, फरीदा, पुत्रियान गिरधर व रूस्तम तथा सौराब पिसरान गिरधर है। जिनमें पुत्रीयान महमूदी, चाहती, कुर्सीदन, फरीदा एवं बेवा मौजबी ने अपने भाइयों एवं पुत्रों के पक्ष में हक त्याग किया है। इसके अलावा गिरधर पुत्र महताब के कोई भी वारिसान शेष नहीं था। अतः सदन में सर्वसम्मति से विचार–विमर्श के बाद ग्राम पंचायत के पूर्ण निर्णय दिनांक 05.08.2003 को यथावत रखा गया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का कोई पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थीया मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिस है। विवादित आराजी में अपीलान्टा मृतक चन्द्रु के स्थान पर आधे हिस्से की खातेदार काश्तकार काबिज है। लेकिन राजस्व

23.X.2015
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कर्मचारियों ने मृतक चन्दु के हिस्से को गलती से मृतक गिरधर के नाम दर्ज कर दिया। उक्त प्रकरण में वास्तविकता यह है कि मृतक चन्दु व गिरधर तो सगे भाई थे तथा विवादित आराजी में बराबर के हिस्सेदार थे। चन्दु की मृत्यु के बाद अपीलान्टा की माता चन्द्री के नाम नामान्तकरण नहीं खोलकर गिरधर के नाम नामान्तकरण खोला गया। जबकि चन्दु की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 220 अपीलान्टा की माता के नाम स्वीकृत हो गया था। जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया और गिरधर पुत्र महताब के नाम स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्टा की माता और खातेदार मृतक चन्दु की पत्नि की भी मृत्यु होने के कारण अपीलान्टा ही एकमात्र वारिस होने के कारण विवादित भूमि अपने नाम कराने की अधिकारी है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने रैस्पोडेन्ट से साजिश कर अपीलाधीन नामान्तकरण नियम विरूद्ध स्वीकृत किया है। उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत किये जाने से पूर्व न तो मौके की जांच की गई और न ही कब्जेकाश्त के बारे में ही जांच की गई। जबकि मौके पर विवादित भूमि के आधे भाग पर अपीलान्ट आज भी काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 139 (2) के तहत उक्त आदेश पारित किया है, जो कि ग्राम पंचायत की क्षेत्राधिकारिता में नहीं है। अतः इस आधार पर भी अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 03.10.2008 निरस्त किया जावे तथा विवादित भूमि जो कि अपीलान्ट के पिता की खातेदारी में थी में से आधे हिस्से में प्रथम श्रेणी के वारिस के रूप में अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील इसी विधिक बिन्दु पर निरस्तनीय है कि तथाकथित खातेदार चन्दू की मृत्यु के बाद जिस नामान्तकरण से भूमि गिरधर के नाम दर्ज की गई है। उसकी अपील अपीलान्ट द्वारा किसी भी न्यायालय में नहीं की गई। खातेदार गिरधर की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत की ओर से उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 14.03.2008 की पालना में उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 03.10.2008 को पारित किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में पारित किया गया है। इसके अलावा मृतक चन्दू द्वारा अपने खातेदारी की भूमि को दिनांक 27.09.1984 को जरिये बयनामा रैस्पोडेन्टस को विक्रय कर दिया गया था। जिसकी पुष्टि रैस्पोडेन्ट की ओर से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 80 (2) के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2010 के साथ संलग्न दस्तावेज से हो रही है। चूंकि चन्दू द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व ही उसकी खातेदारी में स्थित भूमि का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया गया था। अतः इस

23.X.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

आधार पर भी अपीलान्ट को विवादित भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 03.10.2008 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन मूल नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 03.10.2008 का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का की ओर से गिरधर पुत्र महताब की खातेदारी में दर्ज भूमि का विरासत संबंधी नामान्तकरण दिनांक 25.07.2013 को खोले जाने पर इसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई व ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तकरण दिनांक 05.08.2003 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलान्टा की ओर से उपखण्ड अधिकारी कामां के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी कामां द्वारा अपील संख्या 09/2007 में निर्णय दिनांक 14.03.2008 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ग्राम पंचायत को पुनः जांच हेतु रिमाण्ड कर नामान्तकरण पुनः खोले जाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 03.10.2008 पारित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि .....''श्रीमान एसडीओ साहब कामां के अपील संख्या 09/2007 के निर्णय दिनांक 14.03.2008 एवं श्रीमान तहसीलदार साहब पहाड़ी के आदेश दिनांक 05.09.2008 की पालना में दिनांक 03.10.2008 को इन्तकाल संख्या 191 के बारे में ग्राम पंचायत बैठक में चर्चा की गई तथा दोनों पक्षों को सुना गया एवं राजस्व रिकार्डों का अवलोकन किया गया। अवलोकन एवं पूर्ण जांच कर ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंची कि इन्तकाल संख्या 191 फैसल दिनांक 05.08.2003 गिरधर पुत्र महताब की विरासत है। जिसके जायज वारिसान मौजबी बेबा गिरधर, महमूदी, चाहती, कुर्सीदन, फरीदा पुत्रीयान गिरधर व रूस्तम तथा सौरब पिसरान गिरधर हैं। जिनमें पुत्रीयान महमूदी, चाहती, कुर्सीदन, फरीदा एवं बेबा मौजबी ने अपने भाइयों एवं पुत्रों के पक्ष में हक त्याग किया गया है। इसके अलावा गिरधर पुत्र महताब के कोई भी वारिसान शेष नहीं था। अतः सदन में सर्वसम्मति से विचार–विमर्श के बाद ग्राम पंचायत के पूर्व निर्णय दिनांक 05.08.2003 को यथावत स्वीकार किया जाता है। ग्राम पंचायत की ओर से पारित उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 191 के संबंध में स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित किया है।

जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 139 (2) के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है, जिसकी क्षेत्राधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं है तो प्रथम तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में धारा 139 (2) संबंधी कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है। वरन् उक्त अधिनियम की धारा 139 के तहत यह प्रावधान है कि पटवारी जब उससे अपेक्षा की जाए, इस अध्याय के अधीन रखे जाने वाले अभिलेखों व रजिस्टरों

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के इन्द्राजों की प्रतिलिपियां, ऐसी प्रतिलिपि शुल्क दिये जाने पर, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए, तैयार करेगा और देगा और ऐसी प्रतिलिपियां निर्धारित प्रकार से प्रमाणित की जाएगी। इस धारा में नामान्तकरण खोले जाने या स्वीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर ग्राम पंचायत के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कामां की ओर से अपील संख्या 09/2007 में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2008 की पालना में उक्त नामान्तकरण वाद जांच पुनः खोले जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 191 दिनांक 03.10.2008 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर